

**नोट:** चयनित छात्र / छात्रा का प्रवेश केवल एक श्रेणी में दिया जाएगा, यदि उसका नाम सेवा प्राथमिकता (श्रेणी 1-5) और जाति आरक्षण (एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल) के आधार पर किसी भी दो श्रेणियों में आया है।

लॉट के माध्यम से क्रमानुसार अगले छात्र / छात्रा का चयन उसी श्रेणी से किया जाएगा, जिसमें अभिभावक प्रवेश लेने से मना कर दें हैं |